

प्रेस विज्ञप्ति

थाना-पवई

दुष्कर्म करने वाली अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 10.09.2020 को थाना क्षेत्र पवई निवासिनी एक महिला ने थाना पवई पर शिकायत दर्ज कराई कि दिनांक 06.09.2020 को भोला मुसहर पुत्र अफाती मुसहर निवासी ग्राम औराडाड़ थाना पवई जनपद आजमगढ़ मुझे घर पर अकेला देखकर मेरे साथ जबरन दुष्कर्म किया तथा बचाव हेतु चिखने पर मुझे मारा पीटा व जान से मारने की धमकी भी दिया। इस सूचना पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-145/2020 धारा 323,452,506,376 भादवि पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एव वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी विषयक चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री सिद्धार्थ के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी फूलपुर के सतत पर्यवेक्षण में आज दिनांक 11.09.2020 को थानाध्यक्ष श्री संजय कुमार मय हमराहियान द्वारा मुखविर की सूचना पर मु0अ0सं0 145/20 धारा 376/452/323/506 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त भोला उर्फ मोतन मुसहर पुत्र अफाती मुसहर निवासी ग्राम औराडाड़ थाना पवई जनपद आजमगढ़ को माहुल तिराहे से समय करीब 06.30 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण – पूछताछ करने पर अभियुक्त ने जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि मेरा खेत वादिनी के खेत के बगल में है। मैं पानी पाने के लिए उसके घर पर गया तो देखा कि वादिनी अपने घर के बरामदे में अपने छोटे बच्चे के साथ लेटी है तथा घर पर कोई और नहीं है। इस बात का फायदा उठाकर मैं गलत नियत से बरामदे में जाकर उसका हाथ पकड़कर जबरजस्ती खिचकर घर के अन्दर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया शोर मचाने पर उसे मारा पीटा और वहां से भाग गया। आज मैं गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने रिस्तेदारी जा रहा था कि आप लोगो द्वारा मुझे पकड़ लिया गया।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 145/20 धारा 376/452/323/506 भादवि थाना पवई जनपद आजमगढ़

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त

भोला उर्फ मोतन मुसहर s/o अफाती मुसहर साकिन औराडाड़ थाना पवई जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. थानाध्यक्ष श्री संजय कुमार थाना पवई जनपद आजमगढ़ मय हमराह।

थाना- जीयनपुर

मारपीट, गाली-गुप्ता, व वादी का कपड़ा फाड़ते हुए जान से मारने की धमकी देने वाले दो अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 07.09.2020 को नगर पंचायत बोर्ड की बैठक में सभासदों के बीच गरम जोशी के बात को लेकर दिनांक 08.09.2020 को समय 18.45 बजे संजय हलुवाई की दूकान के सामने टडवा बट्टोपुर में एक राय होकर को मारना पीटना गाली गुप्ता देते हुये कपड़े फाड़ देना व जान से मारने की धमकी देना व हमलावर होना जिससे भगदड़ मच जाना।

उ0नि0 अमरनाथ यादव मय हमराह का0 मन्टू यादव व का0 अजीत पटेल के द्वारा अभियुक्त 1. अतुल यादव पुत्र रामसमुझ यादव निवासी भोपतपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ 2. संजय यादव पुत्र राम अशीष यादव निवासी मानिकपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को दिनांक 11.09.2020 समय 09.30 बजे स्थान रजादेपुर चौराहे से गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्तगण द्वारा पूछने पर अपनी सफाई माननीय न्यायालय में देना बता रहे हैं।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 280/2020 धारा 147/323/504/506/427/352 IPC व 7 CLA Act थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ अपराध का तरीका – लड़ाई झगड़ा करने के आदी है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अतुल यादव पुत्र रामसमुझ यादव निवासी भोपतपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
2. संजय यादव पुत्र राम अशीष यादव निवासी मानिकपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 अमरनाथ यादव मय हमराह थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

थाना- जीयनपुर

अवैध असलहो के साथ घर में घुसकर वादी को मारने-पीटने व जान से मारने की धमकी देने वाले तीन अभियुक्त गिरफ्तार

प्रतिवादीगण द्वारा एक राय होकर दिनांक 09.09.2020 समय 20.30 बजे अजमतगढ़ में अवैध असलहे से लैस होकर घर में घुसकर मारना पीटना व हमलावर करने के बाद वादी को जान से मारने की धमकी दिया गया। जिसकी सूचना पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 281/2020 धारा 147/148/149/452/323/504/352 IPC पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

उ0नि0 राजकुमार तिवारी मय हमराह का0 अभिषेक यादव व का0 दुर्गेश कुमार सिंह के द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. प्रिन्स राय पुत्र अमरनाथ राय 2. चुनु यादव पुत्र जुठन यादव 3. धीरज राय पुत्र गुलाब राय निवासीगण मसोना थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को दिनांक 11.09.2020 समय 09.15 बजे स्थान शंकर तिराहा से गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्तगण द्वारा पूछने पर अपनी सफाई माननीय न्यायालय में देना बता रहे है।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 281/2020 धारा 147/148/149/452/323/504/352 IPC थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ अपराध का तरीका – लड़ाई झगड़ा करने के आदी है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. प्रिन्स राय पुत्र अमरनाथ राय निवासी मसोना थाना जीयनपुर जनपद
2. चुनु यादव पुत्र जुठन यादव निवासी मसोना थाना जीयनपुर जनपद
3. धीरज राय पुत्र गुलाब राय निवासी मसोना थाना जीयनपुर जनपद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 राजकुमार तिवारी थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ मय हमराह ।